

प्रेषक,

नीरज कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव, गृह
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग

लखनऊ: दिनांक 11 सितम्बर, 2014

विषय:-माह सितम्बर 2014 के प्रथम सप्ताह में जम्मू व कश्मीर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से आयी भीषण प्राकृतिक आपदा में उत्तर प्रदेश के लापता व्यक्तियों के संबंध में सूचना संकलित करने एवं आवश्यक सहायता कार्य के समन्वय के संबंध में।

महोदय,

माह सितम्बर 2014 के प्रथम सप्ताह में जम्मू व कश्मीर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से आयी भीषण प्राकृतिक आपदा में उत्तर प्रदेश के लापता व्यक्तियों के संबंध में के समन्वय हेतु गृह विभाग में तात्कालिक प्रभाव से एक सेल गठित करने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग के अन्तर्गत साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ को यह दायित्व सौंपा गया है तथा श्री अशोक कुमार सिंह, विशेषकार्याधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। इस प्रकोष्ठ का सम्पर्क सूत्र विवरण निम्नवत है :-

श्री अशोक कुमार सिंह, विशेषकार्याधिकारी।

साम्प्रदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।

लाल बहादुर शास्त्री भवन, हजरतगंज, लखनऊ-226001

फैक्स नं.-0522-2238409, 2238407 (व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण श्री ए.के.सिंह)

फोन नं.-0522-2215555, मोबाइल नं. 9454405067

ईमेल- osdsnp@gmail.com

osdsnp@yahoo.com

2. इस प्रकार लापता व्यक्तियों के संबंध में जनपद स्तर पर सूचना संकलन, सत्यापन, समन्वय व सहायता कार्य जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस कार्य हेतु जिलाधिकारी अपने अधीन कार्यरत 'जिला पारंपत्र प्रकोष्ठ' को उत्तरदायी बनायेगे तथा 'जिला पारंपत्र प्रकोष्ठ' प्रभारी अधिकारी का नाम, पदनाम, प्रकोष्ठ का विवरण,

फोन/फैक्स/ईमेल सहित आदि का विवरण जनसामान्य की जानकारी हेतु इलेक्ट्रॉनिक/प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से तत्काल प्रचारित/प्रसारित करायेंगे और इसे लिसे की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करायेंगे।

3. सामुदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ राज्य स्तर पर आपता व्यक्तियों के संबंध में प्राप्त होने वाली सूचना को संकलित कर, उसका डाटाबेस तैयार करेंगे और उसका सत्यापन संबंधित जिलाधिकारी से करायेंगे। किसी व्यक्ति द्वारा पूछे जाने पर इसे प्रकोष्ठ द्वारा आपता व्यक्त के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर जानकारी दी जायेगी।

4. यह विभाग में गठित सामुदायिकता नियंत्रण प्रकोष्ठ आवश्यकता अनुसार जन्म व कब्रिस्तान राज्य से समन्वय का कार्य भी करेगा।

5. जिलाधिकारी राज्य सरकार तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त आपता व्यक्तियों के संबंध में सम्यक रूप से डाटाबेस तैयार करायेंगे तथा सत्यापित सूचनाओं का विवरण प्रतिदिन आगामी 15 दिन तक उक्त प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायेंगे।

6. जिलाधिकारी आपता व्यक्तियों की सूची कमानत करते हुए उनका डाटाबेस जिनारर पर तैयार करायेंगे तथा प्रत्येक आपता व्यक्त को एक पृथक सूच्या आवृत्ति करेंगे। प्रकोष्ठ को प्रेषित की जाने वाली आपता व्यक्तियों की प्रत्येक सूची को पृथक कमानक दिया जायेगा।

7. आपता व्यक्त के संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति से निम्न सूचनाएं देने का अनुरोध किया जाय :-

- (क) आपता व्यक्त के संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पता, फोन, ईमेल आदि का विवरण।
- (ख) आपता व्यक्त का नाम व पता, पड़चान सिन्ड, फोन, ईमेल, फोटोग्राफ यदि कोई हो तो, वोट आई.डी.ईडविंग लाइसेंस आदि का विवरण।
- (ग) आपता व्यक्त से अन्तिम बार सम्पर्क का विवरण रथान, समय, तिथि, सम्पर्क का माध्यम जैसे फोन, ईमेल, इन्टरनेट, पत्र, फोटोग्राफ आदि का विवरण।

8. आपता व्यक्तियों के संबंध में डाटाबेस निम्न प्रकार में तैयार किया जायेगा :-

1. कमानक।
2. सूचना की तिथि।
3. आपता व्यक्त का नाम व पता, पड़चान सिन्ड, फोन, ईमेल आदि का विवरण।
4. आपता व्यक्त के संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम, पता, फोन, ईमेल आदि का विवरण।

5. लापता व्यक्ति से अन्तिम बार सम्पर्क का विवरण स्थान, समय, तिथि, सम्पर्क का माध्यम, फोन, ईमेल, इन्टरनेट आदि का विवरण।
7. सत्यापन का परिणाम।
8. लापता व्यक्ति को तलाशने के संबंध में किये गये प्रयास।
9. लापता व्यक्ति की जानकारी होने पर उसके मिलने की तिथि व अन्य संबंधित विवरण।
10. लापता व्यक्ति के संबंध में निकटवर्ती थाना में परिजनों/आश्रितों द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

उपरोक्त कार्य अत्यन्त सवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। इसकी संवेदनशीलता एवं महत्ता को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

p.w.

(नीरज कुमार गुप्ता)

प्रमुख सचिव

संख्या-1766के(1)/छः-सानिप्र-14 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, जम्मू व कश्मीर।
2. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. राहत आयुक्त, जम्मू व कश्मीर।
4. प्रमुख सचिव, सूचना उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. पुलिस महानिदेशक, जम्मू व कश्मीर।
7. समस्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. अपर पुलिस महानिदेशक(अभिसूचना), उत्तर प्रदेश।
9. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
10. सूचना अधिकारी, गृह विभाग,।
11. गार्ड फाईल हेतु।

जम्मू-कश्मीर में जनपद के लापता व्यक्तियों का विवरण

जनपद का नाम -

क्र.सं.	लापता व्यक्ति के बारे में सूचना देने वाले का विवरण				लापता व्यक्ति/परिवार का विवरण												मिलने का विवरण
	नाम	पिता/पति का नाम	डाक का पता	फोन/मोबाईल नं./ई-मेल	नाम	पिता/पति का नाम	आयु	लिंग	डाक का पता	फोन/मोबाईल नं.	जम्मू-कश्मीर में गन्तव्य स्थान	अन्तिम सम्पर्क का स्थान/तिथि व समय	सम्पर्क का अंतिम माध्यम जैसे मोबाइल/फोन आदि	फोटो ग्राफ यदि कोई हो	शारीरिक पहचान चिन्ह	वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस का नं० आदि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18